दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क के अंतर्गत मुख्य योजना–2021/क्षेत्रीय विकास योजना जोन पी–I (नरेला उप–नगर) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से तीस (30) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में अथवा ई–मेल द्वारा **mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन :

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मुख्य योजना–2021 एवं जोन पी–I की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तित किया जाना है	सीमाएँ
सीआरपीएफ कैंपस यूईआर–I के साथ (80 मीटर मार्गाधिकार सड़क) और पश्चिमी यमुना नहर के निकटवर्ती	7,847.97 वर्ग मीटर (लगभग 1.94 एकड़)	सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक	मनोरंजनात्मक	**उत्तर :** सीआरपीएफ भूमि **दक्षिण :** यूईआर–I (80 मीटर चौड़ी सडक) के साथ ग्रीन बफर **पूर्व :** सीआरपीएफ भूमि **पश्चिम :** पश्चिमी यमुना नहर

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात् **https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023** पर भी उपलब्ध है।

हस्ता./–
डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

फाइल सं. प्लानिंग/एमपी/0046/2022/एफ–20/–ओ/ओ डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग)एमपी एंड डीसी

दिनांक : 01.07.2023
स्थानः नई दिल्ली